

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड-II

दिनांक: 08 सितम्बर, 2015

सेवा में

अध्यक्ष/महासचिव

1. सभी राष्ट्रीय दल
2. सभी राज्यीय दल
3. सभी गैर मान्यता प्राप्त दल

**विषय:- राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करना -तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 21 जनवरी, 2013 के पत्र सं. 76/ईई/2012-पीपीईएमएस और दिनांक 29 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013(प्रतिलिपियां संलग्न) को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनैतिक दलों को विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन के समाप्त होने के 75 दिनों/90दिनों के भीतर अपना " निर्वाचन व्यय विवरण " भारत निर्वाचन आयोग को (राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के मामले में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (गैर मान्यताप्राप्त दलों के मामले में जहाँ दल का मुख्यालय स्थित है) के समक्ष दाखिल करना होगा।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 77 के अंतर्गत जिस लेखा का कुल व्यय विवरण रखा जाएगा और जो किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन के संबंध में उपगत या अधिकृत किया जाएगा वह निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। सामान्यतः राजनैतिक दल निर्वाचनों के दौरान खड़े किए गए अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय हेतु नकदी या वस्तु रूप में सहयोग/अंशदान देते हैं और अभ्यर्थियों को अपने विवरणों में ऐसा व्यय प्रदर्शित करना होगा। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शिता और लेखों के समाशोधन हेतु और संविधान के अनुच्छेद-324 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजनैतिक दलों को

(i) आंशिक विवरण जो भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष (राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के मामले में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (गैर मान्यताप्राप्त दलों के मामले में, जहाँ दल का मुख्यालय स्थित है) के समक्ष, अनुलग्नक-क में नियत प्रारूप में विधान सभा/लोकसभा के निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने के बाद 30 दिन के भीतर दल द्वारा अभ्यर्थियों को किए गए एकमुश्त भुगतान के संबंध में और (ii) निर्वाचन व्यय संबंधी अंतिम विवरण विधानसभा/लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन के समाप्त होने के 75 दिनों/90 दिनों के भीतर उपरोक्तानुसार, दलों द्वारा दाखिल किया जाना अपेक्षित है।

3. इस बात को दोहराया जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2014 के आयोग के पत्र सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 उपर्युक्त एवं संलग्न के पैरा 3(i) में यथासंदर्भित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणीकृत होना चाहिए।
4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(एस. के. रूडोला)

सचिव

राजनीतिक दल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुभाग और एसडीआर अनुभाग को प्रतिलिपि प्रेषित।

## अनुलग्नक-क

दल का नाम:

क्या मान्यताप्राप्त है:.....(हाँ या नहीं)

निर्वाचन का नाम:

निर्वाचन की घोषणा की तिथि:

निर्वाचन समाप्त होने की तिथि:

दल के अभ्यर्थियों या अन्य अभ्यर्थियों, यदि कोई प्राधिकृत किए गए हों पर दल द्वारा नकद रूप में या लिखत जैसे चेक/डी डी/पीओ/आर टी जी एस/ निधि अंतरण इत्यादि द्वारा कुल एकमुश्त उपगत भुगतान। यदि राजनैतिक दल अभ्यर्थियों को एक से अधिक अवसरों पर भुगतान करता है तो तिथिवार उल्लेख किया जाना चाहिए।						
क्रम सं.	राज्य का नाम/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	अभ्यर्थी का नाम	भुगतान की तारीख	नकद राशि	चेक/डी डी/पीओ/आर टी जी एस/ निधि अंतरण इत्यादि	कुल (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
कुल योग						

दिनांक:

हस्ताक्षर (राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष)

नोट: दल के केन्द्रीय मुख्यालयों या राज्यीय इकाइयों द्वारा किए गए अधिकृत भुगतान के लिए अलग अनुलग्नकों में प्रस्तुत किया जाए।